कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

अपील संख्या 959/2020 पूजा सैनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2020 में सक्षम प्राधिकारी को याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकार्थिया वर्तमान में निवास स्थान उदयपुरवाटी, जिला–झुन्झुनू से लगभग 250 किमी. दूर रामावि भैडोली, पंचायत समिति–दौसा, जिला–दौसा में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III के पद पर कार्यरत है जबकि उसके पति तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर चूरू जिले में पदस्थापित है। याचिकार्थिया के कथनानुसार शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III के पद पर राउमावि लोहरड़ा, पंचायत समिति–नवलगढ़, जिला–झुन्झुनू में कार्यरत दौसा निवासी श्री रामकुमार मीणा एवं याचिकार्थिया पारस्परिक स्थानान्तरण चाहते है। अतः याचिकार्थिया ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पारिवारिक परिस्थितियों एवं दोनों कार्मिकों की आपसी सहमति के आधार पर दौसा जिले से झुन्झुनू जिले में पारस्परिक स्थानान्तरण करने की मांग की है।

याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2020 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। याचिकार्थिया द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III के पद पर राउमावि लोहरड़ा, पंचायत समिति–नवलगढ़, जिला–झुन्झुनू में कार्यरत दौसा निवासी श्री रामकुमार मीणा के साथ दौसा जिले से झुन्झुनू जिले में पारस्परिक स्थानान्तरण की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि शासन के पत्रांक प 17(4) शिक्षा–2/2009 पार्ट जयपुर, दिनांक 26.07.2019 के अनुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक के स्थानान्तरण हेतु वर्तमान में शासन द्वारा पत्रांक प 5(5) प्राशि/2018 दिनांक 02.04.2018 द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश प्रभावी है, जिनमें पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई दिशा–निर्देश अंकित नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिकों द्वारा इच्छित स्थान पर पारस्परिक स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है।

अतः याचिकार्थिया द्वारा पारस्परिक स्थानान्तरण करने हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जय/13006/2020 दिनांकः– 10/03/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, झुन्झुनू
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जयपुर
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. सहायक निदेशक (विधि), कार्यालय हाजा को अनौ.टि. शिविरा–मा/विधि/बी–3/29947/ए/20 के क्रम में।
5. याचिकार्थिया श्रीमती पूजा सैनी, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III, रामावि भैडोली, पंचायत समिति–दौसा, जिला–दौसा **(रजिस्टर्ड)**
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

कार्यालय पता– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर दूरभाष 0151–2522238 Email- dir.dse@rajasthan.gov.in